पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 08/2023 (जी सी एम एस नम्बर 2023/21)

उनवानी प्रकरण :–

श्रवन कुमार वर्मा उम्र करीब 52 वर्ष पुत्र सुरेशचन्द वर्मा जाति स्वर्णकार निवासी मलकपाडा बाडी जिला धौलपुर ————————अपीलान्ट

बनाम्

1–तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर
2–धौलपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा बाडी जरिये शाखा प्रबन्धक
3–देवेन्द्र कुमार पुत्र मनोज कुमार बंसल । जातिगण वैश्य निवासीगण कहार गली
4–बृजमोहन पुत्र मनोज कुमार बंसल । बाडी जिला धौलपुर
5–अनिल कुमार पुत्र राधेश्याम /
6–दिलीप कुमार पुत्र भीकमचन्द /
7–प्रकाशवती पत्नी सुरेशचन्द /
8–प्रदीम गर्ग पुत्र राजकुमार / समस्त जातिगण वैश्य
9–मुन्नीदेवी पत्नी भीकमचन्द /
10–रेखा वर्मा पत्नी श्रवण कुमार /
11–रामसेवक पुत्र दीनदयाल /
12–विजयलक्ष्मी पत्नी दिनेश कुमार / समस्त निवासीगण कस्वा बाडी
13–विमलादेवी पत्नी सुरेशचन्द /
14–सुरेशचन्द पुत्र रामजीलाल /
15–श्रवण कुमार पुत्र सुरेशचन्द /
16–पुष्पादेवी पत्नी मुरारीलाल / तहसील बाडी जिला धौलपुर
17–धनश्याम पुत्र मुरारीलाल /
18–धर्मवीर पुत्र मुरारीलाल /
19–नीलम पुत्री मुरारीलाल /
20–बबिता पुत्र मुरारीलाल /
21–राधा पुत्री मुरारीलाल / ————————रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व शुद्वीकरण आदेश दिनांक 02.08.2022 नम्बरी 19 बॉके कस्बा बाडी नम्बर–1 तहसीलदार बाडी बावत आराजी खसरा नम्बर 1315 वांक बाडी नम्बर–1

उपस्थिति :–
अपीलान्ट की ओर से :– श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट संख्या–1 की ओर से :–पैरोकार सरकार
रेस्पोडेण्ट संख्या 3लगा021 की ओर से :–श्री जयसिंह परमार एडवोकेट

दिनांक : 18.11.2024

निर्णय

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि खसरा नम्बर 1313 रकवा 06 बिस्वा वाके बाडी नम्बर 01 के सम्पूर्ण भाग के खातेदार काश्तगार रेस्पोडेण्ट संख्या 03 लगायत 05 व रेस्पोडेण्ड संख्या 16 लगायत 21 के पति एवं पिता मुरारीलाल पुत्र गोपीचन्द थे तथा खसरा नम्बर 1315 रकवा 04 बिस्वा वाके बाडी नम्बर 01 के सम्पूर्ण भाग के खातेदार काश्तगार रेस्पोडेण्ट संख्या 02 धौलपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा बाडी थी। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगायत 15 व रेस्पोडेण्ट संख्या 16 लगायत 21 के पति व पिता ने आपसी सहमती से दिनांक 22.05.2018 को सखरा नम्बर 1315 व 1313 वाके बाडी नम्बर 01 के सम्बध में 04 बिस्वा भूमि का रजिस्टर्ड पक्षानान्तरण पत्र उपपंजीयक कार्यालय बाडी के समक्ष हुई थी जिसका नामान्तकरण संख्या 5456 वाके बाडी नम्बर 01 दिनांक 30.07.2018 को खसरा नम्बर 1313 के सम्बध में स्वीकृत किया गया था तथा उक्त पक्षानान्तरण पत्र के आधार पर खसरा नम्बर 1315 वाके बाडी नम्बर 01 के सम्बध में भी नामान्तकरण संख्या 5456 वाके बाडी नम्बर 01 रकवा 04 बिस्वा भूमि पर धौलपुर सहकारी भूमि विकास लिमि. शाखा बाडी के स्थान पर रेस्पोडेण्ट संख्या 03 लगायत 15 व रेस्पोडेण्ट संख्या 16 लगायत 21 के पति एवं पिता मुरारीलाल पुत्र गोपीचन्द के पक्ष में स्वीकृत किया गया था तथा राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार काश्तगार के दर्ज रिकॉर्ड किया गया था। अपीलांट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 03 व 04 देवेन्द्र व बृजमोहन के खातेदारी इन्द्राजात एवं पक्षानान्तरण को दृष्टिगत रखते हुये खसरा नम्बर 1313,1314,1315 व 1316 वाके बाडी नम्बर 01 में से 2/14 हिस्सा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र तारीखी 24.02.2021 कय किया था। अपीलान्ट ने दिनांक 24.11.2022 को अपने पक्ष में हुये विकय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोले जाने हेतु आवेदन तहसीलदार बाडी के समक्ष प्रस्तुत किया था तब अपीलांट को प्रथम बार तहसीलदार बाडी द्वारा पारित अपीलाधीन शुद्वीकरण आदेश तारीखी 02.08.2022 नम्बरी 19 बावत आराजी खसरा नम्बर 1315 वाके बाडी नम्बर 01 तहसीलदार बाडी का ज्ञान हुआ उक्त नामान्तकरण शुद्वि आदेश की वजह से अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर कयशुदा भूमि का नामान्तकरण नही खुल पाया है अपीलांट अपीलाधीन कृषि भूमि एवं अन्य कृषि भूमि का सद्भावी केता है तथा अपीलांट के हित में अपीलाधीन कृषि भूमि में सीधे तौर पर निहित है तथा अपीलाधीन शुद्वि नामान्तकरण आदेश से सीधे तौर पर प्रभावित है तथा पीडित है इसलिए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हुये अपीलाधीन शुद्वि नामान्तकरण ओदश तारीखी 02.08.2022 नम्बरी 19 बावत आराजी खसरा नम्बर 1315 व नामान्तकरण संख्या 5456 वाके बाडी नम्बर 01 आदेश तहसीलदार बाडी के विरूद्व निम्नलिखित आधारो पर अपील प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन शुद्वि नामान्तकरण आदेश तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है अपीलाधीन आराजी के सम्बध में नामान्तकरण संख्या 5456 वैघ रूप से वैघ रजिस्टर्ड पक्षानान्तरण डीड के आधार पर खोला गया था जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 ने पूर्व में हुये पक्षानान्तरण डीड को देखे बिन शुद्वि नामान्तकरण आदेश पारित किया है तथा शुद्वि के प्रावधान सद्भावी त्रुटि को दुरूस्त करने के लिये उपयोग में लिये

जाते है अपीलाधीन कृषि भूमि के रिकॉर्ड में तथा नामान्तकरण संख्या 5456 में किसी भी प्रकार की त्रुटि नही थी लिहाजा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा पारित शुद्वी नामान्तकरण आदेश काबिल खारिजी है। अपीलाधीन शुद्विकरण आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के सर्वथा विपरीत है अपीलाधीन शुद्वि नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 03 लगायत 05 व रेस्पोडेण्ट संख्या 16 लगायत 21 के पति व पिता को एवं अपीलांट को किसी भी प्रकार की सूचना एवं सुनवाई का मौका नही दिया लिहाजा अपीलाधीन आदेश काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन विवादित आराजी खसरा नम्बर 1315 व 1313 वाके बाडी नम्बर 01 के सम्बध में पंजीबद्व पक्षानान्तकरण पत्र में संशोधन किये बिना या उसको निरस्त किये बिना पक्षानान्तरण के नामान्तकरण संख्या 5456 वाके बाडी नम्बर 01 के सम्बध में की गई शुद्वि संख्या 19 तारीखी 02.08.2022 विधि विरूद्व है तथा काबिल खारिजी के है अपीलाधीन शुद्वि नामान्तकरण आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के सर्वथा विपरीत है तथा शुद्वि नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पोडेट संख्या 01 ने नामान्तकरण संख्या 5456 एवं पंजीबद्व पक्षानान्तकरण पत्र पर गौर न करके कानूनी एवं वाक्याती भूल की है अपीलान्ट विवादित कृषि भूमि एवं अन्य कृषि भूमि का सदभावी केता है तथा अपीलान्ट के हित अपीलाधीन कृषि भूमि में सीधे तौर पर निहित है तथा अपीलान्ट अपीलाधीन शुद्वि नामान्तकरण आदेश से सीधे तौर प्रभावित है तथा पीडित एवं एग्रीब्ड पर्सन है अपीलान्ट ने दिनांक 24.11.2022 को अपने पक्ष में हुये विकय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोले जाने हेतु आवेदन श्रीमान तहसीलदार बाडी के समक्ष प्रस्तुत किया था तब अपीलान्ट को प्रथम बार तहसीलदार बाडी द्वाराा पारित अपीलाधीन शुद्वीकरण आदेश तारीखी 02.08.2022 नम्बरी 19 बावत आराजी खसरा नम्बर 1315 वाके बाडी नम्बर 01 तहसीलदार बाडी का ज्ञान हुआ तथा ज्ञान से अविलम्ब अपीलांट अपील प्रस्तुत कर रहा है जिसको न्याय हित में अन्दर अवधि शुमार किया जाना आवश्यक है प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन शुद्वि नामान्तकरण संख्या 5456 वांके बाडी नम्बर–1 दिनांक 02.08.2022 नम्बरी 19 बावत आराजी खसरा नम्बर 1315 वांके बाडी नम्बर–1 तहसील बाडी को निरस्त किये जाने तथा पत्रावली तहसीलदार बाडी को प्रति प्रेषित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी खाता संख्या 363 व 1223 वांके बाडी न01 सम्बत 2076–79, प्रमाणित प्रति शुद्वि नामान्तकरण ख0न01315 वांके बाडी न01 कम संख्या 19 दिनांक 2.8.2022, प्रार्थना पत्र बावत दाखिला खारिज खुलवाने बावत दिनांक 24.11.2022, छायाप्रति वयनामा दिनांक 24.02.2021 वहक श्रवन कुमार वर्मा पुत्र सुरेशचन्द वर्मा, प्रमाणित प्रति पटवार परित नामान्तकरण संख्या 5456 वांके बाडी न01 दिनांक 30.07.2018 ख0न0 1313 व 1315 बाडी न01, कम्पूटराईजड नक्शा ख0न0 1315 बाडी न01 सत्यप्रति पक्षानान्तरण पत्र दिनांक 22.05.2018 पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 पैरोकार सरकार एवं रैस्पो0सं03लगा021 की ओर से श्री जयसिंह परमार उपस्थित हुये। रैस्पो0 संख्या–2 बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्व दिनांक 30.10.2023 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. एवं मियाद के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुना गया। प्रार्थी/अपीलान्ट अपीलाधीन कृषि भूमि एवं अन्य कृषि भूमि का सदभावी केता है तथा प्रार्थी/अपीलान्ट के हित अपीलाधीन कृषि भूमि में निहित है तथा प्रार्थी/अपीलान्ट अपीलधीन शुद्वि नामान्तकरण आदेश से प्रभावित है तथा पीडित एवं एग्रीब्ड पर्सन है। अतः प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनिमय स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। हम अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना उचित समझते है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन आराजी के सम्बध में नामान्तकरण संख्या 5456 वैघ रूप से वैघ रजिस्टर्ड पक्षानान्तरण डीड के आधार पर खोला गया था जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 ने पूर्व में हुये पक्षानान्तरण डीड को देखे बिना शुद्वि नामान्तकरण आदेश पारित किया है तथा शुद्वि के प्रावधान सद्भावी त्रुटि को दुरुस्त करने के लिये उपयोग में लिये जाते है अपीलाधीन कृषि भूमि के रिकॉर्ड में तथा नामान्तकरण संख्या 5456 में किसी भी प्रकार की त्रुटि नही थी लिहाजा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा पारित शुद्वी नामान्तकरण आदेश काबिल खारिजी है। अपीलाधीन शुद्वि नामान्तकरण आदेश तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलाधीन शुद्विकरण आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के सर्वथा विपरीत है अपीलाधीन शुद्वि नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने अपीलांट को किसी भी प्रकार की सूचना एवं सुनवाई का मौका नही दिया। अपीलाधीन विवादित आराजी खसरा नम्बर 1315 व 1313 वाके बाडी नम्बर 01 के सम्बध में पंजीबद्व पक्षानान्तकरण पत्र में संशोधन किये बिना या उसको निरस्त किये बिना पक्षानान्तरण के नामान्तकरण संख्या 5456 वाके बाडी नम्बर 01 के सम्बध में की गई शुद्वि संख्या 19 तारीखी 02.08.2022 विधि विरूद्व है तथा काबिल खारिजी के है अपीलाधीन शुद्वि नामान्तकरण आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के सर्वथा विपरीत है तथा शुद्वि नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पोडेट संख्या 01 ने नामान्तकरण संख्या 5456 एवं पंजीबद्व पक्षानान्तकरण पत्र पर गौर न करके कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर प्रकरण तहसीलदार बाडी को प्रति प्रेषित किया जावे।

रेस्पोडेन्ट पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहाराते हुये कथन किया कि खसरा नम्बर 1315 रकवा 4 विस्वा बाडी नम्बर–1 धौलपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 धौलपुर शाखा बाडी के नाम दर्ज करने बावत बैंक से पत्र प्राप्त हुआ। उक्त खसरा नम्बर बैंक द्वारा पूर्व में ही खातेदारों के नाम किया जा चुका था परन्तु बैंक द्वारा उसे गलत बताकर पुनः नामान्तकरण बैंक के नाम दर्ज करने के आदेश करा लिए जो बैंक द्वारा तथ्यों को छुपा कर कराए गये। प्रकरण तहसीलदार बाडी को प्रतिप्रेषित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। रैस्पोडेन्ट संख्या 3 लगा0 21 ने बहस के दौरान अपील में अंकित कथनों को स्वीकार करते हुये कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। नामान्तकरण संख्या 5456 दिनांक 30.07.2018 पक्षानान्तरण पत्र के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 1315 रकवा 04 विस्वा वांके बाडी नम्बर–1 को सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 धौलपुर शाखा बाडी द्वारा खातेदारों के नाम किया गया है। उक्त नामान्तकरण संख्या 5456 का शुद्धि आदेश कमांक 19 दिनांक 02.08.2022 के सम्बध में तहसीलदार बाडी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें उन्होने यह स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 1315 रकवा 04 विस्वा धौलपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 धौलपुर शाखा बाडी के नाम दर्ज करने बावत बैंक से पत्र प्राप्त हुआ जबकि उक्त खसरा नम्बर बैंक द्वारा पूर्व में ही खातेदारों के नाम किया जा चुका था परन्तु बैंक द्वारा उसे गलत बताकर तहसीलदार बाडी द्वारा पुनः खसरा नम्बर 1315 को बैंक के नाम दर्ज करने के आदेश करा लिए जो बैंक द्वारा तथ्यों को छुपा कर कराए गए। खसरा नम्बर 1315 में हुए पक्षानान्तरण नामान्तकरण संख्या 5456 का शुद्धि आदेश के समय जमाबन्दी में लाल स्याही का नोट नहीं लग पाने के कारण सहवन से शुद्धि आदेश हुए है। जल्दबाजी में सहवन से शुद्धि आदेश होने के कारण उक्त दर्ज नामान्तकरण शुद्धि पत्र 19 बाडी नम्बर–1 निरस्त योग्य है। अतः इस प्रकार तहसीलदार बाडी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त शुद्धि आदेश कमांक 19 दिनांक 02.08.2022 बाडी नम्बर–1 तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने के कारण काबिल निरस्ती के है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील, अपीलान्ट स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन शुद्धि आदेश कमांक 19 दिनांक 02.08.2022 बाडी नम्बर–1 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बाडी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर